उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून–248001

अधिसूचना

दिनांक जून 15, 2004

संख्या एफ 9(6)/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2004/362–उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

अध्याय 1–प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) ये विनियम, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण दर अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2004 कहलाएँगे।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।[1]

(3) ये विनियम, दिनांक 15.06.2004 से प्रभावी होंगे।

2. लागू होने की परिधि एवं विस्तार :

ये विनियम वहाँ लागू होंगे, जहाँ उत्तराँचल राज्य में वितरण अनुज्ञापियों के लिए आयोग द्वारा दर अवधारण किया जाना है।

3. परिभाषाएँ :

(1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(2) 'प्राधिकरण' से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–70 में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(3) 'पूँजीकरण' से वास्तविक रूप से उपगत पूँजीगत तथा पूँजीकृत किया गया व्यय अभिप्रेत है जिसे वितरण प्रणाली की संस्थापना, संनिर्माण, संवर्धन और/या विस्तार हेतु आयोग द्वारा प्रज्ञावान जाँच के पश्चात् स्वीकार किया गया हो तथा तदनुसार 'पूँजीकृत' का अर्थान्वयन किया जाएगा।

(4) 'उपभोक्ता' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उसके अपने प्रयोग के लिए विद्युत का प्रदाय किसी अनुज्ञापी या सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जनता को विद्युत प्रदाय करने के कारबार में संलग्न है, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके परिसर को विद्युत प्राप्त करने के लिए, यथास्थिति, अनुज्ञापी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के संकर्मों के साथ उस समय संयोजित किया हुआ है।

(5) 'आयोग' से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(6) 'वितरण अनुज्ञापी' से आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के प्रचालन व अनुरक्षण हेतु अधिकृत अनुज्ञापी अभिप्रेत है।

(7) 'वितरण प्रणाली' से उत्पादन केन्द्र संयोजन या पारेषण लाईन के परिदेय बिन्दुओं तथा उपभोक्ता के संस्थापन के संयोजन बिन्दु के मध्य तारों और सहबद्ध सुविधाओं की प्रणाली अभिप्रेत है।

आयोग द्वारा जब तक अन्यथा निर्णय न किया जाए, वितरण प्रणाली में मुख्य रूप से 33 कि0वो0 या कम अभिकल्पित विभव के केबल, सेवा लाईनें, शिरोपरि लाईनें, विद्युत संयत्र तथा मीटर सम्मिलित होंगे, साथ ही

[1]यह विनियम दिनांक 26.06.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

कोई अन्य प्रणाली जो कम या अधिक विभव की हो, जिसे आयोग विशेष रूप से मान्य करे इसमें वह भी सम्मिलित होगा। पारेषण प्रणाली का कोई भाग, 33 कि0वो0 अभिकल्पित विभव के ऐसे भाग सहित जो कि आयोग अपने आदेश द्वारा पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में विशेष तौर पर सम्मिलित करे, वितरण प्रणाली में सम्मिलित नहीं होगा।

(8) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(9) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों तथा पदों के, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो विद्युत अधिनियम, 2003 में हैं।

अध्याय 2—वार्षिक राजस्व की आवश्यकता तथा दर हेतु आवेदन का दाखिल करना

4. प्रत्याशित राजस्व एवं सेवा लागत तथा दर अवधारण हेतु आवेदन का दाखिल करना :

प्रत्येक वितरण अनुज्ञापी आयोग द्वारा अपेक्षित प्रपत्र या रूप विधान में, आगामी वित्त वर्ष में सेवा प्रदान करने से प्रत्याशित कुल राजस्व, जो इसके प्रचलित स्वीकृत दर के अधीन हो, तथा सेवा प्रदान करने की प्रत्याशित लागत अर्थात् वार्षिक राजस्व की आवश्यकता (ए.आर.आर.) की गणना के विवरण आयोग के पास दाखिल करेगा।

5. ए.आर.आर. तथा दर आवेदन दाखिल करने की सारिणी एवं प्रक्रिया :

ए.आर.आर. तथा दर आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया एवं सारिणी, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2004 के उपबंधों के अनुसार होगी।

अध्याय 3—विक्रय पूर्वानुमान, हानियाँ व ऊर्जा की उपलब्धता

6. विक्रय पूर्वानुमान :

(1) दर वर्ष हेतु विक्रय पूर्वानुमान उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार होगा तथा यह पूर्व प्रवृत्त के आधार पर होगा। विद्युत उपभोग, संयोजित भार तथा उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में ज्ञात एवं मापीय परिवर्तनों के प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त समायोजन किए जाएँगे व इसके द्वारा पूर्व के आँकड़ों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

(2) विक्रय पूर्वानुमान मासिक आधार पर होगा, जिससे मौसमानुसार मांग को उचित रूप से ग्रहण किया जा सके।

(3) मीटररहित श्रेणी के विक्रय पूर्वानुमान समय–समय पर आयोग द्वारा इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत संनियमों द्वारा विधि मान्य किए जाएँगे।

7. ऊर्जा हानि :

(1) वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानि वितरण हानि कहलाएगी।

(2) एक विशिष्ट विभव स्तर या उससे ऊपर विभव पर वितरण हानि की गणना निम्न के मध्य अन्तर द्वारा की जाएगीः वितरण प्रणाली में प्रारम्भ में अन्तःक्षेपित ऊर्जा तथा उस स्तर तक विक्रय की गई ऊर्जा व अगले विभव स्तर को परिदत्त ऊर्जा का योग। स्वीकृत संनियमों के आधार पर मीटररहित बिक्री के आकलन तथा मीटर द्वारा बिक्री का योग, विक्रय की गई ऊर्जा होगी।

एक विशिष्ट विभव स्तर और उससे ऊपर विभव पर % वितरण हानि वितरण प्रणाली में प्रारम्भ में अन्तःक्षेपित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में उस स्तर तक वितरण हानि के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी।

(3) आयोग, वृत्त–अनुसार और/या माह–अनुसार वितरण हानि गणना की सूचना मांग सकता है।

(4) वितरण हानि गणना को प्रमाणित करने के लिए, आयोग वितरण अनुज्ञापी से समुचित एवं विश्वसनीय ऊर्जा लेखा परीक्षा करवा सकता है।

(5) आयोग, विभव अनुसार वितरण हानि को तकनीकी हानि (अर्थात् लाईनों, उप केन्द्रों व उपस्करों में ओम/कोर हानि) तथा वाणिज्यिक हानि (अर्थात् मीटरिंग की अशुद्धि/न्यूनता, विद्युत चोरी इत्यादि के कारण लेखांकन रहित ऊर्जा) में अलग–अलग कर सकता है।

(6) आयोग, कार्य कुशलता के स्वीकार्य संनियमों तक वितरण हानि के स्तर (तकनीकी व वाणिज्यिक दोनों) को नीचे लाने के लिए, हानि में कमी के दीर्घकालीन अथवा लघुकालीन लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।

(7) आयोग दर वर्ष के लिए वितरण हानि में कमी को तकनीकी हानि में कमी तथा वाणिज्यिक हानि में कमी के रूप में अलग कर सकता है तथा ऊर्जा क्रय की आवश्यकता व बिक्री में तद्नुसार समायोजन कर सकता है।

8. ऊर्जा की उपलब्धता :

(1) दर वर्ष हेतु ऊर्जा की मासिक उपलब्धता निम्न के आधार पर अभिनिश्चित की जाएगी :–

(a) केन्द्र/राज्य क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रः

(i) केन्द्र की आबंटित या अनाबंटित क्षमता, यदि कोई हो, में वितरण अनुज्ञापी का अंश; एवं

(ii) उत्पादन केन्द्रों द्वारा दिए अनुमान और उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति के इतिवृत्त आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक उत्पादन केन्द्र से प्रत्याशित ऊर्जा की उपलब्धता; या

(iii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केन्द्र के लिए पी०एल०एफ०/उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य; या

(iv) किसी योजनाबद्ध कामबन्दी या अनुरक्षण के लिए समायोजित करने के पश्चात् केन्द्र का इतिवृत्त कार्य निष्पादन।

(b) अन्य स्रोतों से :

(i) वितरण अनुज्ञापी के किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड या व्यापार अनुज्ञापी के साथ बैंकिंग व्यवस्था;

(ii) वितरण अनुज्ञापी का किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड उत्पादन कम्पनी या व्यापार अनुज्ञापी से ऊर्जा क्रय करने के सम्बन्ध में करार।

अध्याय 4—वार्षिक व्यय

9. वार्षिक व्यय के अंग :

(1) वितरण अनुज्ञापी के वार्षिक व्यय में निम्न अंग समाविष्ट होंगे :–

(a) ऊर्जा क्रय लागत;

(b) कर्मचारी लागत;

(c) प्रशासनिक व सामान्य (ए. एण्ड जी.)व्यय;

(d) मरम्मत व अनुरक्षण (आर. एण्ड एम.) व्यय;

(e) अवक्षयण;

(f) ब्याज लागत;

(g) अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण;

(h) इक्विटी पर प्रत्यागम;

(i) अन्य व्यय।

10. ऊर्जा क्रय लागत :

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित वर्तमान व प्रस्तावित ऊर्जा क्रय/बैंकिंग/व्यापार करार, ऊर्जा क्रय लागत हेतु विचारणीय होंगे।

(2) दर वर्ष के लिए, उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय का वितरण अनुज्ञापी के विक्रय पूर्वानुमान, पारेषण हानि एवं दर वर्ष के लिए लक्ष्य हानि के स्तर के आधार पर आकलन किया जाएगा।

(3) दर वर्ष के लिए, राज्य के उत्पादन केन्द्रों से उपलब्ध ऊर्जा की लागत, केन्द्र से क्रय हेतु आयोग द्वारा यथाअनुमोदित लागत ली जाएगी तथा केन्द्रीय क्षेत्र से ऊर्जा की लागत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार ली जाएगी। अन्य स्रोतों से ली गई ऊर्जा की लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा—क्रय/बैंकिंग/व्यापार करारों के अनुसार होगी।

(4) दर वर्ष के लिए अपने उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु वितरण अनुज्ञापी की आवश्यकता के लिए ऊर्जा क्रय मूल्य का आकलन योग्यता क्रम के आधार पर किया जाएगा।

(5) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का आकलन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार होगा, जब कि राज्य के अन्दर के पारेषण तथा व्हीलिंग प्रभारों का आकलन आयोग के आदेशानुसार किया जाएगा।

11. कर्मचारी लागत, प्रशासन एवं सामान्य (ए. एण्ड जी.) व्यय तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण (आर. एण्ड एम.) व्यय :

(1) दर वर्ष हेतु कर्मचारी लागत, ए. एण्ड जी. व्यय तथा आर. एण्ड एम. व्यय की इतिवृत्त लागतों, प्रचलित संनियमों व समुचित विधि मान्य परिवर्तनों के आधार पर, आयोग की प्रज्ञावान जाँच की शर्त के अधीन, गणना की जाएगी।

(2) कर्मचारी लागतों के संनियम ए. एण्ड जी. व्यय तथा आर. एण्ड एम. व्यय एक ऐसे समय अन्तराल के अन्दर, जैसा कि आयोग निर्धारित करे, एक कुशल स्तर तक लाए जाएँगे।

12. अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण :

अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण एक वैध कारबार व्यय के रूप में तभी मान्य होंगे, जब तक कि वे आयोग द्वारा तय संनियमों के अन्दर हों तथा उस सीमा में जो वितरण अनुज्ञापी ने आयोग द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति के अनुसार अप्राप्य ऋण परिलक्षित कर वास्तव में अपलिखित किए हों।

13. पूँजीगत व्यय :

(1) केवल उसी पूँजीगत व्यय पर दर के प्रयोजन से विचार किया जाएगा, जो उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2004 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व अनुमोदन से छूट प्राप्त सहित, आयोग के अनुमोदन से हुए तथा प्रस्तावित व्यय होंगे।

(2) निम्नांकित स्वरूप के आयोग द्वारा अनुमोदित अपने मूल कार्य की परिधि के अन्दर के पूँजीगत व्यय, प्रज्ञावान जाँच की शर्त के अधीन, आयोग द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं, जो वास्तव में उपगत हुए हैं या होने प्रस्तावित हैं—

(a) मूल कार्य की परिधि में कार्यों/सेवाओं से सम्बन्धित आस्थगित दायित्व;

(b) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य;

(c) माध्यस्थम् के पंचाट की पूर्ति अथवा न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए दायित्वों के निर्वाह हेतु,; तथा

(d) विधि में परिर्वतन के कारण :

परन्तु यह कि कार्य का मूल परिधि एवं व्यय के प्राक्कलन, निवेशों के अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाएँगे :

परन्तु यह भी कि आस्थगित दायित्वों व निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों की एक सूची, निवेशों के अनुमोदन के आवेदन के साथ जमा की जाएगी।

(3) संयंत्र के सफल व कुशल संचालन हेतु आवश्यक हो गए, अतिरिक्त कार्य/सेवा के लिए वास्तव में उपगत पूँजीगत व्यय, जो मूल पूँजी लागत में सम्मिलित नहीं हो, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जाँच की शर्त पर स्वीकार किए जा सकते हैं।

(4) ऋण–इक्विटी अनुपात–

(a) वितरण प्रणाली के लिए, दर अवधारण हेतु, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहाँ इक्विटी का नियोजन 30 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा शेष राशि मानकीय ऋण के रूप में मानी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि वास्तव में नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, तो वास्तविक ऋण व इक्विटी दर अवधारण हेतु विचारणीय होंगे।

(b) परन्तु यह भी कि खंड (a) के अनुसार निकाली गई ऋण व इक्विटी की राशि, ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर प्रत्यागम, अवक्षयण के प्रति अग्रिम की गणना के उपयोग की जाएगी।

टिप्पणी–1: कार्य की मूल परिधि के अन्तर्गत वचनबद्ध दायित्वों के कारण स्वीकार कोई व्यय तथा प्रौद्योगिक आर्थिक आधार पर आस्थगित किन्तु कार्य की मूल परिधि में आने वाले व्यय ऊपर निर्दिष्ट रीति से मानकीय ऋण–इक्विटी अनुपात में वितरित किए जाएँगे।

टिप्पणी–2: पुरानी परिसम्पत्तियों के बदलाव पर कोई व्यय, मूल पूँजी लागत में, से मूल परिसम्पत्तियों की कुल कीमत अपलिखित करने के पश्चात् ही विचारणीय होगा।

टिप्पणी–3: कोई व्यय, जो नये कार्य के कारण स्वीकार किया गया है व कार्य की मूल परिधि में नहीं है, वह ऊपर निर्दिष्ट मानकीय ऋण–इक्विटी अनुपात में वितरित होगा।

टिप्पणी–4: जीवन वृद्धि, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण पर स्वीकार किया गया व्यय मूल पूँजी लागत में से बदली गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि अपलिखित करने के पश्चात् ऊपर निर्दिष्ट मानकीय ऋण–इक्विटी अनुपात में वितरित किया जाएगा।

टिप्पणी–5: आयोग द्वारा परियोजना लागत आकलन की संवीक्षा, पूँजी लागत की युक्तियुक्तता, वित्त पोषण योजना, निर्माण की अवधि में ब्याज, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा दर अवधारण के प्रयोजन हेतु ऐसे अन्य विषयों तक सीमित होगी।

14. ब्याज लागतें :

(1) ऋणों पर ब्याज–

(a) ऋण पूँजी पर ऋणवार, विनियम 13(4) में उपदर्शित रीति से आकलित ऋणों सहित, संगणित किया जाएगा।

(b) 01.04.2004 पर अवशेष ऋण खंड (a) के अनुसार कुल ऋण में से 31.03.2004 तक आयोग द्वारा स्वीकार किए गए संचयी पुनर्भुगतान को घटाकर निकाला जाएगा। भविष्य के लिए पुनर्भुगतान मानकीय आधार पर निकाला जाएगा।

(c) यदि वितरण अनुज्ञापी द्वारा किसी विलम्बनाधीन अवधि का उपयोग किया जाता है तो विलम्बनाधीन अवधि के दौरान दर हेतु प्रदत्त अवक्षयण को उन वर्षों की अवधि का पुनर्भुगतान माना जाएगा तथा ऋण पर ब्याज की संगणना तद्नुसार की जाएगी।

(2) कार्यचालन पूँजी पर ब्याज–

(a) कार्यचालन पूँजी में निम्न को समाविष्ट कर संगणित किया जाएगा :–

(i) एक माह के प्रचालन व अनुरक्षण व्यय, जिसमें कर्मचारी लागत, आर. एण्ड. एम. व्यय तथा ए. एण्ड जी. व्यय सम्मिलित हैं। आर. एण्ड एम. व्यय में कल–पुर्जो की उस अवधि की आकलित लागत जो अनुमोदित न्यूनतम भंडार अवधि है, किन्तु यह अवधि साधारणतया एक तिमाही से अधिक नहीं होगी।

(ii) आयोग द्वारा अनुमोदित वर्तमान देय के संकलन में कमी के वित्तपोषण हेतु अपेक्षित पूँजी।

(iii) विद्युत विक्रय के लिए एक बिलिंग चक्र तथा एक माह की अवधि के समतुल्य प्राप्त जिसे उपभोक्ताओं द्वारा दी गई प्रतिभूति तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उधार की अवधि के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया हो।

(b) कार्यचालन पूँजी पर ब्याज दर, दर अवधि की पहली अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालीन प्राहर्य उधार देने की दर होगी।

(c) वर्तमान देय तथा पिछले देय का राजस्व संकलन पृथक—पृथक दर्शाना होगा जो क्रमशः वर्तमान देय व पूर्वदेय के प्रतिशत रूप में अभिव्यक्त होंगे। ये प्रतिशत आयोग द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर एक कुशल स्तर तक लाए जाएँगे।

(3) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज —

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज उस दर पर होगा जो समय—समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।

15. अवक्षयण, अवक्षयण के प्रति अग्रिम सहित :

(1) अवक्षयण:—

दर के प्रयोजन से, अवक्षयण की गणना निम्नांकित रीति से की जाएगी अर्थात :—

(a) अवक्षयण के प्रयोजन से मूल्य आधार पूँजीकृत परिसम्पत्ति की इतिवृत लागत, पूँजीगत अनुदान/सहायता या उपभोक्ता योगदान के अतिरिक्त,होगी।

(b) अवक्षयण की संगणना वार्षिक रूप से, इन विनियमों के परिशिष्ट—1 में दिए गए परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन काल पर सरल रेखा प्रणाली के आधार पर की जाएगी।

परिसम्पत्ति का अवशिष्ट जीवन काल 10% माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियों की इतिवृत्त पूँजी लागत को 90% तक अधिकतम अवक्षयण अनुज्ञात होगा। भूमि एक अवक्षयी परिसम्पत्ति नहीं है तथा परिसम्पत्ति की लागत के 90% की गणना करते समय इसकी लागत पूँजी लागत से पृथक की जाएगी।

(c) सम्पूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान पर अवशेष अवक्षयी मूल्य, परिसम्पत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल में विभक्त कर दिया जाएगा।

(d) प्रचालन के पहले वर्ष से अवक्षयण प्रभार्य होगा। परिसम्पत्ति का वर्ष के किसी भाग में संचालित होने की स्थिति में अवक्षयण अनुपाततः प्रभार्य होगा।

(2) अवक्षयण के प्रति अग्रिम (ए.ए.डी.)—

वितरण अनुज्ञापी, अनुज्ञेय अवक्षयण के अतिरिक्त, अवक्षयण के प्रति अग्रिम (ए.ए.डी.) का पात्र होगा जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी :—

ए.ए.डी. = उपरोक्त विनियम 13(i)(a) के अनुसार पुनर्भुगतान राशि, विनियम 12(4) के अनुसार ऋण राशि के 1/10 की सीमा की शर्त पर, में से अनुसूची के अनुसार अवक्षयण का व्यवकलन :

परन्तु यह कि अवक्षयण के प्रति अग्रिम की अनुमति तभी होगी जब कि एक विशिष्ट वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान उस वर्ष तक के संचयी अवक्षयण से अधिक हो :

परन्तु यह भी कि विशिष्ट वर्ष में अवक्षयण के प्रति अग्रिम, उस वर्ष तक के संचयी अवक्षयण तथा संचयी पुनर्भुगतान के मध्य अन्तर तक सीमित होगा।

16. इक्विटी पर प्रत्यागम :

(1) इक्विटी पर प्रत्यागम की गणना, विनियम 12(4) के अनुसार निर्धारित इक्विटी के आधार पर होगी तथा यह 14% प्रति वर्ष होगा।

स्पष्टीकरण :

वितरण अनुज्ञापी द्वारा शेयर पूँजी जारी करते समय जुटाया गया प्रीमियम तथा मुक्त कोष से रचित आन्तरिक संसाधनों से निवेश, यदि कोई हो, भी इक्विटी पर प्रत्यागम की गणना के उद्देश्य से समादत्त पूँजी माने जाएँगे। परन्तु यह कि ऐसी शेयर पूँजी, प्रीमियम राशि तथा आन्तरिक संसाधनों का उपयोग वास्तव में वितरण प्रणाली के पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया गया हो तथा जो अनुमोदित वित्तीय पैकेज का अंश हो।

(केन्द्र सरकार द्वारा जब भी राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय दर नीति निर्गत की जाती है तो आयोग उस पर विचार करके, यदि आवश्यक समझता है तो, इस विनियम में संशोधन कर सकता है।)

(2) इक्विटी पर प्रत्यागम के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। वर्ष के दौरान इक्विटी के निवेश की स्थिति में, इक्विटी पर प्रत्यागम अनुपाततः प्रभार्य होगा।

17. आय पर कर :

(1) वितरण अनुज्ञापी के कोर कारबार से आय के स्त्रोतों पर कर की गणना एक व्यय के रूप में होगी तथा इसे दर में वसूल किया जाएगा।

(2) आय पर कर की कम या अधिक वसूली को, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आय कर निर्धारण, जो कि विधिक लेखा संपरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो, तथा दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर प्रतिवर्ष समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह कि कोर कारबार से भिन्न किसी भी आय के स्त्रोत पर कर का दर में पारगमन नहीं होगा तथा ऐसी आय पर कर वितरण अनुज्ञापी द्वारा संदेय होगा :

परन्तु यह कि आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार यथालागू कर अवकाश का समुचित रूप से लेखांकन किया जाएगा।

अध्याय 5—राजस्व पूर्वानुमान व राजस्व अन्तराल

18. राजस्व का पूर्वानुमान :

(1) विद्युत वितरण के कारबार से वितरण अनुज्ञापी के राजस्व में निम्नांकित चार अंग समाहित होंगे :—

(a) ऊर्जा के विक्रय से राजस्व अर्थात् दर से आय;

(b) गैर—दर आय;

(c) अनुदान आदि से अन्य राजस्व।

(2) गैर—दर आय में निम्न समाहित होंगे :—

(a) विलम्ब भुगतान अधिभार;

(b) मीटर किराया;

(c) निवेशों से आय;

(d) उपभोक्ताओं से विविध प्राप्तियाँ;

(e) व्यापारिक आय; तथा

(f) कोई अन्य आय।

19. राजस्व अन्तराल :

(1) दर वर्ष के लिए, वर्तमान दर पर राजस्व पूर्वानुमान तथा व्यय के मध्य अन्तर राजस्व अन्तराल कहलाएगा।

(2) राजस्व अन्तराल, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रणाली जैसे दर परिवर्तन, संचयी निधि के उपयोग, कार्य क्षमता में सुधार आदि, द्वारा पूरा किया जाएगा।

अध्याय 6—दर अभिकल्पना

20. लागत मानक :

विविध श्रेणियों/विभव हेतु दरें परिमापक चिन्ह तथा आपूर्ति की लागत, जो प्रचालन में वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रज्ञावान रूप से किए गए लागत व्यय पर आधारित होगी, प्रदर्शित करेंगी। सूचना, जो कि पर्याप्त रूप से श्रेणीवार/विभववार आपूर्ति लागत को स्थापित करती है, की उपलब्धि के लंबित होने पर आपूर्ति की औसत लागत को परिमापक चिन्ह के रूप में दर अवधारण हेतु उपयोग किया जाएगा। श्रेणीवार/विभववार आपूर्ति की लागत इन विशेषताओं को समाहित कर सकती है जैसे लोड फैक्टर, विभव, तकनीकि तथा वाणिज्यिक हानियों की परिधि इत्यादि।

21. दर संरचना का युक्तिकरण :

श्रेणियों व उपश्रेणियों का उपयुक्त विलयन, सरल, समझने में आसान तथा तर्कसंगत दर संरचना को विकसित करने के लिए किया जाएगा।

22. व्यस्ततम तथा गैर–व्यस्ततम दर :

मांग प्रबन्धन को बढ़ावा देने के लिए व्यस्ततम तथा गैर–व्यस्ततम घंटों के लिए अलग दरें अभिकल्पित हो सकती हैं।

अध्याय 7—प्रकीर्ण

23. व्यावृत्तियाँ :

(1) न्याय का उद्देश्य पूरा करने हेतु जैसा आवश्यक हो, इन विनियमों में कुछ भी आयोग को वैसा आदेश बनाने की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

(2) यदि आयोग विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से किसी मामले या मामलों के निपटारे हेतु न्यायोचित या समीचीन समझता हो तो इन विनियमों में कुछ भी, इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों से भिन्न प्रक्रिया, जो कि अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है, अपनाने में आयोग के लिए बाधक नहीं होगा।

(3) जिनके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, ऐसे मामलों में कार्यवाही करने पर या अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का निर्वाह करने में इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निष्पादन कर सकेगा।

24. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्तियाँ :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के अनुरूप, ऐसे निर्देश दे सकता है जो आयोग को कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन लगते हों।

25. संशोधन की शक्ति :

आयोग किसी भी समय, इन विनियमों के किसी उपबंध में अभिवृद्धि, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

परिशिष्ट—1

अवक्षयण अनुसूची

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
A. पूर्ण स्वामित्व में भूमि	अपरिमित	——	
B. पट्टे पर ली गयी भूमि :			
(a) भूमि में निवेश हेतु	पट्टे की अवधि या पट्टे के आबंटन पर समाप्त न हुई शेष अवधि	——	
(b) स्थल के निर्वाधन लागत हेतु	स्थल के निर्वाधन की तिथि पर पट्टे की शेष बची हुई अवधि	——	
C. सम्पत्ति :			
खरीदी गई नई सम्पत्ति :			
(a) संयत्र नींव सहित उत्पादन केन्द्रों पर यंत्र एवं संयंत्र—			
(i) जल विद्युत	35	2.57	90
(ii) भाप विद्युत एन.एच.आर.एस. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स / संयंत्र	25	3.60	90
(iii) डीज़ल—विद्युत और गैस संयंत्र	15	6.00	90
(b) कूलिंग टावर एवं चक्करदार जल प्रणाली	25	3.60	90
(c) जल—विद्युत प्रणाली के भाग के रूप में जलीय कार्य जिसमें सम्मिलित हैं—			
(i) बांध, स्पिलवे वियर, नहरें—पुनः पक्के, फ्लूमेल तथा साइफन	50	1.80	90
(ii) पुनः पक्की की गई पाइप लाईन, सर्ज टैंक, हायड्रॉलिक नियंत्रण वाल्व तथा अन्य हायड्रॉलिक कार्य	35	2.57	90
(d) स्थाई प्रकृति के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है—			
(i) कार्यालय व शो रूम	50	1.80	90
(ii) अन्तर्विष्ट तापीय—विद्युत उत्पादन संयंत्र	25	3.60	90
(iii) अन्तर्विष्ट जल—विद्युत उत्पादन संयंत्र	35	2.57	90
(iv) लकड़ी से बनी अस्थाई खड़ी संरचना	5	18.00	90
(v) कच्ची के अतिरिक्त अन्य सड़कें	50	1.80	90
(vi) अन्य	50	1.80	90

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
(e) परिवर्तक, परिवर्तक (कियोस्क) उप–केन्द्र उपकरण एवं अन्य लगे उपस्कर (संयंत्र नींव सहित)–			
(i) परिवर्तक (नींव सहित) 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	25	3.60	90
(ii) अन्य	25	3.60	90
(f) स्विच–गियर केबल कनेक्शन सहित	25	3.60	90
(g) लाइटनिंग अरेस्टर–			
(i) स्टेशन टाईप	25	3.60	90
(ii) पोल टाईप	15	6.00	90
(iii) सिंक्रोनस कन्डैन्सर	35	2.57	90
(h) बैटरी–	5	18.00	90
(i) ज्वाइन्ट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	35	2.57	90
(ii) केबल डक्ट प्रणाली	50	1.80	90
(i) सपोर्ट्स सहित ओवर हैड लाइन–			
(i) 55 के0वी0 से अधिक के नॉमिनल विभव पर फेब्रीकेटेड स्टील प्रचालन पर लाईनें	35	2.57	90
(ii) 13.2 कि0वो0 से अधिक, लेकिन 66 कि0वो0 से अधिक नहीं, नॉमिनल विभव पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	25	3.60	90
(iii) स्टील या री–इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स लाईनें	25	3.60	90
(iv) शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाइन	25	3.60	90
(j) मीटर	15	6.00	90
(k) सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	5	18.00	90
(l) वातानुकूलन संयंत्र–			
(i) स्टेटिक	15	6.00	90
(ii) पोर्टेबल	5	18.00	90
(m)			
(i) कार्यालय का फर्नीचर एवं फिटिंग	15	6.00	90
(ii) कार्यालय के उपकरण	15	6.00	90
(iii) फिटिंग एवं उपस्करों सहित आंतरिक वायरिंग	15	6.00	90
(iv) स्ट्रीट लाईट फिटिंग	15	6.00	90

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
(n) किराये पर लिए गए उपस्कर–			
(i) मोटर के अलावा	5	18.00	90
(ii) मोटर	15	6.00	90
(o) संचार उपकरण–			
(i) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति कैरियर प्रणाली	15	6.00	90
(ii) टेलीफोन लाईन तथा टेलीफोन	15	6.00	90
(p) पुरानी खरीदी गई सम्पत्ति तथा अनुसूची में अन्यथा उपबंधित न की गई सम्पत्ति	ऐसी उपयुक्त अवधि जैसी कि स्वामी द्वारा ग्रहण करते समय परिसम्पत्ति की स्थिति, आयु एवं स्वभाव के आधार पर प्रत्येक स्थिति में सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।		

टिप्पणी : परिसम्पत्तियों का जीवन काल केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना सं0 एल–7/25(5)/2003–सी0ई0आर0सी0, दिनांक 26 मार्च, 2004 पर आधारित है।

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80, वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून 248 006

अधिसूचना

सितम्बर 1, 2004

संख्या F-9(7)/RG/UERC/2004/532--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए तथा इन शक्तियों द्वारा समर्थ हो कर व पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात;

अध्याय 1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा व्याख्या :

(1) ये विनियम, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004 कहलायेगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।[1]

(3) ये विनियम दिनांक 01.04.2004 से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन न किया जाये, 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे।

2. लागू होने की परिधि एवं विस्तार :

(1) जहां दर निर्धारण बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार किया गया है, वहाँ आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, वह दर अपनायेगा।

(2) ये विनियम उन सभी अन्य मामलों में लागू होंगे जहाँ उत्तरांचल में पारेषण अनुज्ञापी के लिए दरें, पूंजी लागत पर आधारित, आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना है।

[1]यह विनियम दिनांक 09.10.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।